<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3222/2025
राघोपुर थाना कांड सं0–223/2025

धारा–126(1), 115(2), 117(2), 118(1), 303(2), 352, 351(3), 3(5) BNS Act.

22.05.2026 आवेदकगण भुषण राय, छोटन राय, बरेन्द्र रय उर्फ विजेन्द्र राय, भभीखन राय, ओम प्रकाश राय, भोला राय एवं जय प्रकाश राय की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा राघोपुर थाना कांड सं0–223/2025 मे दर्ज मुकदमे मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हुए, उभय पक्षो को सुना।

Web Copy not Official

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचक मनिष राय द्वारा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष फर्दबयान दिया गया कि "दिनांक 08.08.2025 को को समय करीब 15:00 बजे अपने जमीन जो रेफरल अस्पताल के बगल मे है है, वहां पर था उसी समय जय प्रकाश रय, ओमप्रकाश राय, भोला राय, आकाश कुमार, राजनन्दन राय, छोटन राय, भुषण राय, भभीखन राय, विजेन्द्र राय, मंटु राय जितेन्द्र राय, अनोज राय एक राय होकर अपने हाथ मे लाठी, डंडा एवं लोहे के रड लेकर आये और मेरे उपर वार कर दिया, जब मैने ऐसा करने से मना किया तो सभी मुझे बोला कि आज जान से मार कर फेक देगें। हल्ला सुनकर मेरे परिवार के लोग आये तो सभी मिलकर मेरे परिवार के उपर लाठी, डंडा, लोहे के रड से हमला कर दिया, मेरे चचेरा चाचा सरविन्द्र राय को जय प्रकाश राय लोहे के रड से मार कर हाथ बाया तोड़ दिया, मेरे चचेरा भाई पिन्टु को मंटु राय एवं जितेन्द्र राय मिलकर लाठी, डंडा से मारकर अधमरा कर दिया एवं मेरे चचेरा भाई तेतर राय को अनोज राय एवं भोला राय मिलकर लाठी से बहुत मार मारा है। आकाश कुमार एवं राजनन्दन राय मुझे पहले फाईट मुक्का से मारा फिर ओमप्रकाश राय मेरे सर पर जान मारने के नियत से बार कर दिया जिससे मेरा सर फट गया और काफी खुन बहने लगा। छोटन राय एवं भभीखन राय अपने हाथ मे पिस्टल लेकर मेरे सिने मे सटा कर बोला कि जान से मार देगें। काफी हल्ला पर ग्रामीण जुटने लगे तो वेलोग भागने लगे इसी बीच भूषण राय मेरे मॉ के गले से सोने का जितिया छीन लिया एवं मॉ का कपड़ा फार दिया जिससे मेरी मॉ बेलग्न हो गयी, जयप्रकाश राय मेरे पॉकेट से पॉच हजार रूपया भी छीन लिया।"

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत

<u>न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।</u>
<u>वैशाली, हाजीपुर।</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3222/2025
राघोपुर थाना कांड सं0–223/2025

प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण ओमप्रकाश राय एवं जयप्रकाश राय के विरूद्ध केवल एक अपराधिक इतिहास है तथा अन्य आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक के विरूद्ध आवेदक जयप्रकाश राय द्वारा राघोपुर थाना कांड सं0–219/2025 दर्ज कराया गया है जिससे बचने के लिए यह झुठा केस सूचक द्वारा किया गया है। उभय पक्ष आपस मे पटिदार है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने का गंभीर आरोप है। अभियोजन द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाए।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी मे संलग्न जख्म रिपोर्ट मे मनिष कुमार जख्म रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार जख्मी मनीष कुमार के सिर पर हड्डी के गहराई तक का जख्म पाया गया है और यह जख्म कारित करने का प्रत्यक्ष रूप से आरोप आवेदक ओमप्रकाश राय के विरूद्ध लगाया गया है। अतः प्रत्यक्ष आरोप एवं जख्म की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक ओमप्रकाश राय का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो कि सूचक पक्ष के है ऐसा कोई जख्म कारित नही हुआ बल्कि बेहद मामूली जख्म है, अतः अन्य आवेदकगण भुषण राय, छोटन राय, बरेन्द्र रय उर्फ विजेन्द्र राय, भभीखन राय, भोला राय एवं जय प्रकाश राय का अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदकगण आरोप निर्माण तक सदेह उपस्थित रहेगे। आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि चार सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करें तथा आवेदकगण भुषण राय, छोटन राय, बरेन्द्र रय उर्फ विजेन्द्र राय, भभीखन राय, भोला राय एवं जय प्रकाश राय की ओर से 10,000–10,000 (दस दस हजार) रूपये के दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3222/2025
राघोपुर थाना कांड सं0–223/2025

Date of Judgment/Order	22-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	22-05-2026
Uploading Date	04-06-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official